दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	प्रार्थना पत्र संख्या (72/2013) **फैलीराम बनाम कमला**
13.11.2017	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री दिनेश शर्मा उपस्थित। वकील प्रार्थी को आदेशिका दिनांक 16.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुऐ शेष अप्रार्थीगणों की तलवी हेतु रजिस्टर्ड एडी तलबाना नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात् दिनांक 03.12.2015 से आदिनांक तक कुल 13 तारीख पेशीया बिना नोटिस के अनावश्यक रूप में तारीख पेशी बदली जा रही है। वकील प्रार्थी द्वारा आदेश की पालना में आज भी रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश नहीं किये है। ऐंसा प्रतीत होता है कि वकील प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं रखते है। वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशो की अवहेलना किये जाने के कारण यह प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर